न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर रीवा सम्भाग रीवा म0 प्र0 ।

R-547-III/2011

रामप्रताप बढ़ई उम्र 76 वर्ष तनय श्री सूरजदीन बढ़ई निवासी रहिकवारा तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0----------------------------- निगराकार

बनाम

1. रामाधार बेदुआ तनय स्वर्गीय श्री रामस्वरूप बेदुआ कौम ब्रा0 निवासी ग्राम /पोस्ट रहिकवारा तह0 नागौद जिला सतना म0 प्र0 ।

2. सरपंच ग्राम पंचायत रहिकवारा विकास खण्ड नागौद जिला सतना म0 प्र0

---------- गैर निगराकारगण

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय् रीवा प्र. क्र. 628/अपील/10x11 में पारित आदेश दिनांक 8-2-11

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है कि:-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस तरह हैं कि गैर निगराकार क्र. 1 घर एवं कोलिया निगराकार के माकान एवं निगराकार के भूमि के पश्चिम की ओर है गैर निगराकार क्र. 1 चार भाई एवं चार बहिनें है निगराकार क्र. 1 के पिता का नाम रामस्वरूप बेदुआ है जो रहिकवारा में ही निवास करते थे एवं निगराकार का परिवार पुस्तैनी ग्रामरहिकवारा में निवास कर खेती का काम करता चला आ रहा है । गैर निगराकार क्र. 1 एवं गैर निगराकार क्र. 1 का भाई लक्ष्मण प्रसाद रामहेत ब्रा0, रामनरेश ब्रा0, पिता रामस्वरूप ब्रा0 के साथ में रह रहा है एवं रामस्वरूप ब्रा0 का नापदान उत्तर की ओर से खुला था जिससे हमेशा मात्र बरसात का पानी निकलता चला आ रहा है एवं मौजूदा समय में गैर निगराकार क्र. 1 के चारों भाइयों का बंटवारा हो चुका है एवं एवं गैर निगराकार क्र. 1 के भाई का पानी निकास उत्तर की गैर निगराकार क्र. 1 के भाई रामनरेश की कोलियासेहोकर पुराने नापदान से निगराकार के भूमि के बगल से होकर नाली में चला जाता है, लेकिन गैर निगराकार क्र. 1 के द्वारा पश्चिम की ओर नया नापदान का निर्माण निगराकार की दीवाल की बना लिया गया है एवं उत्तर की ओर गैर निगराकार क्र. 1 का नापदान गैर निगराकार क्र. 1 के भूमि से होकर अलग से है तब निगराकार के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि चेक आबादी ग्राम पंचायत रहिकवारा की होने से ग्राम पंचायत रहिकवारा के समक्ष दिनांक 9-8-2002 को आवेदन पत्र पेश किया जिसमें ग्राम पंचायत रहिकवारा के द्वारा ग्राम पंचायत के वार्ड क्र. 7 के पंच शांति एवं वार्ड क्र. 13 के पंच जवाहरलाल को मौका निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है ।

रामप्रताप

R-547 अ-III/11 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि...
19/8/15	आवेदक को दिनांक 20/7/15 को सूचना दे गई थी। आवेदक उसके उपरांत अप्राप्त। आवेदक को समय समय पर पुकार लगाई गई, उसके बाद भी उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अनुपस्थित होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सही	